संख्या : — /जी0एस0(शिक्षा)/ A11-42(3)/2022

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 30 जनवरी, 2023**

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या : 4861 दिनांक 30.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, भगवानपुर, हरिद्वार को बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0–एससी0(आई0टी0) एवं बी0–एससी0 (कम्प्यूटर सांइस) पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2019–20 एवं 2020–21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 एवं 2020–21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) की धारा–33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, ईमलीखेड़ा, भगवानपुर, हरिद्वार	बी0बी0ए0 बी0सी0ए0 बी0–एससी0 (आई0टी0) बी0–एससी0 (कम्प्यूटर सांइस)	120 सीट 60 सीट 60सीट 60 सीट प्रति ग्रुप	2019–20 एवं 2020–21

(i) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।

(ii) विश्वविद्यालय संस्थान से पाठ्यक्रमानुसार निर्धारित प्राभूति राशि के रूप में F.D.R विश्वविद्यालय के नाम बंधक रखवाते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख आवश्यक रूप से इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा अन्यथा की स्थिति में अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(iii) विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Trust Act के अन्तर्गत निर्धारित Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य 02 माह के भीतर आख्या सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

(iv) संस्थान द्वारा अध्ययनरत छात्रों की प्रायोगिक शिक्षा एवं इंटर्नशिप/विजिट हेतु जिन समूहों, विभागों एवं कम्पनियों के साथ अनुबन्ध (MOU) किया गया है। तत्सम्बन्धी अभिलेख 02 माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

क्रमशः/–

(v) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

(vi) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3958 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/ A11-42(3)/**2022 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, ईमलीखेड़ा, भगवानपुर, हरिद्वार।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।